न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :–श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 159/2024
जीसीएमएस नं. :– 2024/258

प्रार्थी :–
श्री रामलाल पुत्र श्री मोडाराम जाति जाट निवासी डूडीनगर तहसील पीपाड़ शहर

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री मधुसूदन डूडी प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदारपीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :–24/07/2024

"आदेश"

दिनांक : 16/10/2025

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम डूडीनगर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 279 रकबा 0.9465 हैक्टेयर बारानी प्रथम, खंसरा नम्बर 94 रकबा 0.4611 हैक्टेयर बारानी प्रथम कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.4076 हैक्टेयर भूमि आयी हुई है सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 सलग्न पेश है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद जमीन है जिसमें प्रार्थी का 1/4 वा हिस्सा है । प्रार्थी संयुक्त रूप से अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। वादग्रस्त आराजी का कानून अनुसार बंटवाडा किया हुआ नहीं है इसलिए राजस्व रेकर्ड की जानकारी नही रही। प्रार्थी ने हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने गया तब हल्का पटवारी ने बताया कि प्रार्थी के अन्य खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 715/4 724/4, कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9384 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 728 रकबा 5.2423 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 729/1 रकबा 2.0306 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम रामलाल है इसलिए वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम राजूराम गलत रूप से दर्ज हो गया जिसे दुरूस्त करवाना पडेगा इस पर प्रार्थी ने 20/07/2024 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त कर अप्रार्थी से अपना नाग दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने उक्त दुरूस्ती न्यायालय से ही करवाने हेतू कहा इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना पड रहा है। प्रार्थी का आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र,

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

जन–आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पेनकार्ड एवं अन्य सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम रामलाल दर्ज है प्रार्थी को बोल–चाल भाषा में राजूराम नाम से भी जाना पुकारा जाता है इसलिए वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम राजूराम सेवन से त्रुटिवंश गलत रूप से दर्ज हो गया जबकि सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम रामलाल दर्ज है इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में अपना नाम दुरूस्त करवाकर राजूराम के स्थान पर रामलाल करवाना चाहता है। राजूराम व रामलाल प्रार्थी ही है। सभी सरकारी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम रामलाल दर्ज है इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में अपना नाम दुरूस्त करवाकर राजूराम के स्थान पर रामलाल करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर ग्राम डूडीनगर की राजस्व सीमा में खंसरा नम्बर 279 रकबा 0.9465 हैक्टयर बारानी प्रथम, खंसरा नम्बर 94 रकबा 0.4611 हैक्टयर बारानी प्रथम कुल खंसरा 02 कुल रकबा 1.4076 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का नाम दुरूस्त फरमाया जाकर राजूराम पुत्र श्री मोडाराम के स्थान पर रामलाल पुत्र श्री मोडाराम दुरस्ती फरमायें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम डूडीनगर के खसरा नम्बर 279 एवं खसरा नम्बर 94 में राजूराम पुत्र मोडाराम के स्थान पर रामलाल पुत्र मोडाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम डूडीनगर के खसरा नम्बर 279 एवं खसरा नम्बर 94 में राजूराम पुत्र मोडाराम के स्थान पर रामलाल पुत्र मोडाराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 16/10/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर